ए/24577/आशु/मुप्रअ/सीपी

भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
कमरा संख्या 169, 'ई' ब्लॉक,
डलहौजी रोड, नई दिल्ली - 11
दिनांक 12 जनवरी 2015

सेवा में,

वायुसेनाध्यक्ष
नौसेनाध्यक्ष
सेनाध्यक्ष
एकीकृत रक्षा स्टाफ के अध्यक्ष, मुख्यालय आई डी एस
अंतर सेवा संगठनों के प्रमुख

विषय : **एकीकृत मुख्यालयों तथा रक्षा मंत्रालय के अंतर सेवा संगठनों (अं से सं) के अधिकारियों के लिए आशुलिपिकों को प्राधिकृत करने के संदर्भ में**

1. संदर्भ :-

(क) दिनांक 14 अगस्त 2002 का समसंख्यक सरकारी पत्र;

(ख) दिनांक 30 दिसंबर 2009 का प्रशासनिक आदेश संख्या ए/26041/VI सीपीसी/आशु/मुप्रअ/सीपी';

(ग) दिनांक 24 मार्च 2014 का सरकारी पत्र संख्या ए/24315/सी आर - स से मु सि से/2011/मुप्रअ/सीपी; तथा,

(घ) दिनांक 21 मई 2014 का प्रशासनिक आदेश संख्या ए/24315/सी आर-स से मु सि से/2011/मुप्रअ/सीपी

2. अधिकारियों की आशुलिपिकीय सहायता से संबंधित हकदारी का पुनरीक्षित ब्योरा इस पत्र के परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

3. शांतिकालीन स्थापना (पी ई) में संसोधन से संबंधित मामले भेजते समय इस पत्र के प्रावधानों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। रक्षा मुख्यालयों/अंतर सेवा संगठनों में नई नियुक्तियां सृजित करने अथवा मौजूदा नियुक्तियों का उन्नयन करते समय आशुलिपिकों के पदों के सृजन/उन्नयन के मामले को भी प्रस्ताव के साथ ही भेजना आवश्यक है। इसी तरह अधिकारी जिन्हें आशुलिपिकीय सहायता प्राधिकृत है, के पद को समाप्त करने/अवनयन करते समय प्राधिकृत आशुलिपिकों के पदों को भी समाप्त करने/अवनयन करने के लिए आवश्यक कार्रवाई अपेक्षित है।

.....2

4. इस हकदारी के संशोधन से, स. से. मु. सि. से के प्राधिकार में कोई भी वृद्धि नहीं होगी जो कि 24 मार्च 2014 के सरकारी पत्र के अंतर्गत पहले ही संशोधित किया जा चुका है।

5. यह इस कार्यालय के दिनांक 14 अगस्त 2002 की पत्र संख्या ए/24577/मुप्रअ/सीपी का अधिक्रमण करता है।

(राजेश सक्सेना)
उप मुप्रअ

प्रतिलिपि:-

सं स (प्रशि) मुप्रअ के प्र नि स	निदे (मा सं) के नि स	निदे (सं एवं प्र) के नि स
उप मुप्रअ (का)	उप मुप्रअ(प्र)	उप मुप्रअ(अनु स क)
मुप्रअ/भर्ती-I	मुप्रअ/भर्ती-II	मुप्रअ/भर्ती-III
मुप्रअ/का-I	मुप्रअ/का-II	

निदेशक; र मु प्र सं
मुप्रअ/ईडीपी-इस पत्र को मुप्रअ वेबसाइट पर डालने के लिए
रक्षा मंत्रालय - एकीकृत मुख्यालय (सेना), रक्षा मंत्रालय - एकीकृत मुख्यालय (नौसेना), रक्षा मंत्रालय - एकीकृत मुख्यालय (वायुसेना) की शाखाओं के सभी समन्वय अनुभाग
सभी अंतर सेवा संगठनों के समन्वय अनुभाग,
सशस्त्र सेना अधिकरण (ए एफ टी), प्रधान पीठ, नई दिल्ली

भारत सरकार के पत्र संख्या ए/24577/आशु/मुप्रअ/सीपी
दिनांक 12 जनवरी 2015 का परिशिष्ट 'क'

अधिकारियों की आशुलिपिकीय सहायता की हकदारी से संबंधित विवरण

अधिकारियों की श्रेणी	**आशुलिपिकों के संशोधित प्राधिकार** [वेतन बैंड/ग्रेड वेतन]
(क)	(ख)
जनरल/समकक्ष	(i) कार्यकारी प्रधान निजी सचिव (वेतन बैंड 4, ग्रेड वेतन 8,700/- रूपए)/वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव (वेतन बैंड 3, ग्रेड वेतन 7,600/- रूपए) 1
	(ii) वैयक्तिक सहायक (वेतन बैड 2, ग्रेड वेतन 4600/- रूपए) 1
सह सेनाध्यक्ष के स्तर के लेफ्टिनेंट जनरल/समकक्ष	(i) कार्यकारी प्रधान निजी सचिव/वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव 1
	(ii) वैयक्तिक सहायक 1
लेफ्टिनेंट जनरल के समकक्ष	(i) वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव/प्रधान निजी सचिव (वेतन बैंड-3, ग्रेड वेतन 6600 रूपए) 1
	(ii) वैयक्तिक सहायक/आशुलिपिक 'घ' (वेतन बैंड 2, ग्रेड वेतन 2400 रूपए) 1
मेजर जनरल/संयुक्त सचिव/प्रधान निदेशक (स से मु) समकक्ष	(i) प्रधान निजी सचिव/निजी सचिव (वेतन बैंड 2, ग्रेड वेतन 4800 रूपए) 1
ब्रिगेडियर/निदेशक (स से मु)/समकक्ष	(i) निजी सचिव 1
कर्नल/संयुक्त निदेशक (स से मु)/समकक्ष #	(i) वैयक्तिक सहायक/आशुलिपिक 'घ' 1

नोट 1: वैयक्तिक सहायक/आशुलिपिक 'घ' की संख्या में कमी के कारण 01 वैयक्तिक सहायक को 02 कर्नल/समकक्ष रैंक के अधिकारी के लिए आबंटित किया जाए।

नोट 2: लेफ्टिनेंट कर्नल/उप निदेशक (स से मु)/समकक्ष अधिकारी आशुलिपिकीय सहायता के हकदार नहीं हैं। हालांकि प्रकार्यात्मक जरूरतों के आधार पर ऐसे प्रत्येक अधिकारी के लिए एक आशुलिपिक अथवा ऐसे दो अफसरों के लिए एक वैयक्तिक सहायक मुहैया कराने संबंधी मामले पर विचार किया जा सकता है बशर्ते कि स्थायी स्थापना समिति के विचार में यह तर्कसंगत हो।